आम कारण: एक पंजीकृत सोसायटी

बनाम

भारतीय संघ

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 245/2014)

अप्रैल 27, 2017

[रंजन गोगोई और नवीन सिन्हा, जेजे.]

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013- धारा 4(2) और 4(1)(ई)- खोज समिति (गठन, सदस्यों की नियुक्ति के नियम और शर्तें और अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन का तरीका) लोकपाल) नियम, 2014 आरआर. 10(1) और 10(4)(1) एनजीओ द्वारा दायर रिट याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई है कि आरआर.10(1) और 10(4)(1) अधिकारातीत हैं और किसी भी कार्य की शुरुआत को रोकने के निर्देश दिए जाएं। उक्त नियमों के तहत लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया- निवेदन है कि अधिनियम के प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया गया है और अधिनियम के तहत चयन समिति/खोज समिति का गठन किया जाना बाकी है ताकि नियुक्ति को आगे बढ़ाया जा सके। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों ने सरकार को बताया कि अधिनियम को लागू करने का प्रयास किया गया था, लेकिन प्रावधानों में कुछ विसंगतियों को देखते हुए। संशोधन विधेयक की आवश्यकता थी अपील को, अभिनिर्धारित: अधिनियम आज जिस रूप में खड़ा है वह एक अत्यंत व्यावहारिक कानून है जब तक कि प्रस्तावित संशोधनों को लागू नहीं किया जाता है तब तक अधिनियम के प्रवर्तन को निलंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है - संशोधन कामकाज को सुव्यवस्थित करने के प्रयास हैं अधिनियम के कार्यान्वयन में कोई कानूनी बाधा नहीं है और सिद्धांत यह है कि विधिवत अधिनियमित

और लागू किए गए कानून को प्रभावी बनाया जाना चाहिए और न्यायालय द्वारा उक्त प्रभाव के लिए उचित निर्देश जारी किए जाने चाहिए- धारा 4(2) यह स्पष्ट करता है कि लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण अमान्य नहीं होगी, यदि वर्तमान में विपक्ष का नेता-एलओपी उपलब्ध नहीं है। चयन समिति के अध्यक्ष और अन्य दो सदस्य अर्न्तगत धारा 4(1)(ई) के तहत प्रतिष्ठित न्यायविद् को चयन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं - विचार हेतु व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए एक खोज समिति का गठन करने के लिए संक्षिप्त चयन समिति में कोई कानूनी अक्षमता नहीं है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति और लोकपाल-संशोधन विधेयक लोकपाल और लोकायुक्त और अन्य संबंधित कानून संशोधन विधेयक, 2014 के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिंशे करने के लिए एक गठित चयन समिति भी नियुक्त की गई। [लोकपाल और लोकायुक्त और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014]

शक्तियों का पृथक्करण - विधायी कार्यों में - न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप: किसी मौजूदा कानून में संशोधन के माध्यम से बदलाव की मांग करने का संसदीय ज्ञान विधायिका के विशेष क्षेत्र में है और इस अभ्यास पर कोई राय व्यक्त करना न्यायालय का क्षेत्र नहीं है। इस संबंध में विधायी विशेषाधिकार - आवश्यक विधायी कार्यों को आम तौर पर न्यायालय के हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया जाना चाहिए, अधिनियम के संशोधन को न्यायालय के किसी भी हस्तक्षेप के बिना पूरा करने की अनुमति दी जानी चाहिए - न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से आगे नहीं बढ़ना चाहिए - न्यायिक अनुशासन जरूरी है इस तरह के दृष्टिकोण के विरुद्ध न्यायालय को सचेत करना चाहिए - न्यायिक अनुशासन।

अदालत ने रिट याचिकाओं और स्थानांतरित मामलों को अनुमति देते हुए अभिनिर्धारित किया:-

1.1. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 आज जिस रूप में मौजूद है, वह एक बेहद व्यावहारिक कानून है और प्रस्तावित संशोधन लागू होने तक अधिनियम के कार्यान्वयन को निलंबित रखने का कोई औचित्य नहीं है। [पैरा 22] [311-बी)

संदर्भ में, विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 [1979] 2 एससीआर 476: एआईआर 1979 एससी 478: 1979 (1) एससीसी 380- का उल्लेख किया गया है।

1.2 यह स्पष्ट है कि संशोधन विधेयक-लोकपाल और लोकायुक्त और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014 वर्तमान सदन में विपक्ष के नेता के स्थान पर चयन समिति में लोकसभा लोक/लोकसभा-एलओपी में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल करने का प्रावधान करता है। प्रस्तावित संशोधनों में चयन समिति के सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित न्यायविद के कार्यकाल को सीमित करने का भी प्रावधान है। इस तथ्य का भी स्पष्ट उल्लेख है कि चयन समिति के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति (या किसी सदस्य के पद की रिक्ति) लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति के लिए प्रख्यात न्यायविद् की नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों को अमान्य नहीं करेगी। इसी प्रकार, की नियुक्ति खोज समिति का सदस्य या उक्त समिति की कार्यवाही खोज समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति या चयन समिति में रिक्ति के कारण अमान्य नहीं होगी। अधिनियम के अन्य प्रावधान अधिनियम के तहत कुछ प्रासंगिक मामलों से संबंधित हैं, जैसे, लोकपाल के सचिव का पद; लोकपाल के जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक का पद; लोक सेवकों द्वारा संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा; लोकपाल की सीट; अभियोजन निदेशक की नियुक्ति के लिए पात्रता

मानदंड; और निदेशकों के बीच मतभेदों के समाधान से संबंधित प्रावधान। [पैरा 14] [306-ए-डी]

विपुलभाई एम. चौधरी बनाम गुजरात कॉप मिल्क मार्केट फेडरेशन लिमिटेड [2015] 3 एससीआर 997: 2015 (8) एससीसी 1- संदर्भित।

1.3 जबकि संसदीय स्थायी समिति ने प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में विभिन्न सिफारिशें की थीं, जहां तक लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा एलओपी के प्रतिस्थापन से संबंधित संशोधन का सवाल है, संसदीय स्थायी समिति ने मंजूरी दे दी थी प्रस्तावित संशोधन. जहां तक रिक्ति निकलने की स्थिति में खोज/चयन समिति द्वारा कार्यों के निर्वहन का सवाल है, संसदीय स्थायी समिति का मानना है कि खोज/चयन समिति को तब तक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक कि खोज/चयन समिति में रिक्ति भरा हुआ न हो। बल्कि, यह सुझाव दिया गया है कि जल्द से जल्द रिक्तियों/रिक्तियों को भरने के लिए संशोधन विधेयक में प्रावधान किया जाना चाहिए। समिति की बाकी सिफ़ारिशें उन विषयों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उत्पन्न होने वाले प्रश्न का निर्णय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगी जिनसे वे संबंधित हैं, जो कि संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट से निकाले गए चार्ट में चित्रित विषयों की एक सरसरी नज़र से स्पष्ट होगा।[पैरा 15][306-ई-जी]

सामान्य कारण बनाम भारत संघ एवं अन्य [2003] 4 पूरक एससीआर 471: 2003 (8) एससीसी 250 का उल्लेख किया गया है।

1.4 इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी मौजूदा कानून में संशोधन के माध्यम से बदलाव की मांग करने का संसदीय ज्ञान विधायिका के विशेष अधिकार क्षेत्र में है और इस संबंध में विधायी विशेषाधिकार के प्रयोग पर कोई राय व्यक्त करना न्यायालय का

क्षेत्र नहीं है। संशोधन विधेयक का निर्धारण; इसे संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित करना; उक्त समिति द्वारा उस पर विचार; आगे उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों और उसकी समय-सीमा के साथ तैयार की गई रिपोर्ट आवश्यक विधायी कार्य हैं जिन्हें आम तौर पर न्यायालय के हस्तक्षेप या हस्तक्षेप के अधीन नहीं किया जाना चाहिए। शक्तियों के पृथक्करण का संवैधानिक सिद्धांत और संवैधानिक ढांचे के तहत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के संबंधित क्षेत्राधिकार का सीमांकन न्यायालय को इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि अधिनियम में संशोधन की कवायद, जो वर्तमान में चल रही है, होनी चाहिए न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना पूरा करने की अनुमति दी जाए। इस समय कोई भी अन्य दृष्टिकोण और कोई भी हस्तक्षेप, बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत को नकार देगा कि कानून बनाने के क्षेत्र में विधायिका सर्वोच्च है। किसी क़ानून को उस स्थिति में व्यावहारिक बनाने के लिए पढ़ना जहां कानून में संशोधन की प्रक्रिया लंबित है, उचित नहीं होगा। हालाँकि, अधिनियम में शामिल कानून की आसन्न आवश्यकता और एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों पर इसके लाभकारी प्रभावों के बारे में मजबूत धारणा, न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगी। न्यायिक अनुशासन को न्यायालय को इस तरह के दृष्टिकोण के प्रति सचेत करना चाहिए। [पैरा 17][307-सी-जी|

1.5 यदि अधिनियम, जैसा अस्तित्व में है, अन्यथा व्यावहारिक है और विधानमंडल द्वारा पेश किए जाने वाले संशोधन का उद्देश्य अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अधिक कुशल तरीके से कार्यान्वित करना है, तो यह संपूर्ण सिद्धांत है कि एक कानून को विधिवत अधिनियमित और लागू किया जाना चाहिए। दिए गए प्रभाव को प्रबल होना होगा और न्यायालय द्वारा उक्त आशय के लिए उचित निर्देश जारी करने होंगे। [पैरा 18][308-बी-सी]

उत्कल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉइनरी प्रा. लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य [1987] 3 एससीआर 317: एआईआर 1987 एससी 1454 :1987 (3) एससीसी 279 संदर्भित।

1.6 धारा 4 की उपधारा (2) यह स्पष्ट करती है कि लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति केवल चयन समिति में कोई रिक्ति होने के कारण अमान्य नहीं होगी। यदि, वर्तमान में, एलओपी उपलब्ध नहीं है, निश्चित रूप से, चयन समिति के अध्यक्ष और अन्य दो सदस्य, अर्थात् लोकसभा अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति, धारा 4(1)(ई) अधिनियम के तहत एक प्रतिष्ठित न्यायविद् को चयन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार हेतु व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए एक खोज समिति का गठन करने और भारत के राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए ऐसी संक्षिप्त चयन समिति के गठन में कोई कानूनी अक्षमता नहीं देखी जाती है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। सच है, जहां तक संक्षिप्त चयन समिति द्वारा खोज समिति के गठन का संबंध है, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के समान कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति, अपने आप में, काटी गई चयन समिति द्वारा खोज समिति के गठन को अमान्य नहीं करेगी, जब अधिनियम विशेष रूप से लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के लिए एक काटी गई चयन समिति को "सशक्त" करता है। अन्यथा धारण करना स्वयं विरोधाभासी होगा। इसलिए, प्रस्तावित धारा 4(3) में संशोधन स्पष्ट करने वाला होगा और अधिनियम में किसी कमी को दूर करने का प्रयास नहीं होगा, जो अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति में कानून में बाधा साबित हो रही है। लोकपाल. रिक्तियां/रिक्तियां मौजूद/मौजूद होने पर खोज/चयन समिति द्वारा निर्णय लेने की उपयुक्तता के संबंध में संसदीय स्थायी समिति का विचार केवल एक राय है जिस

पर पहले कार्यपालिका को विचार करना होता है और उसके बाद विधायिका को विचार करना होता है। अनुमोदन करना होगा, इसलिए संसदीय स्थायी समिति की उक्त राय पवित्र नहीं होगी। किसी भी मामले में, इसका अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों की वैधता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। [पैरा 19][309-ए-एफ]

1.7 अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर विचार, जिनके संबंध में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जैसा कि निकाले गए चार्ट में दर्शाया गया है और इस संबंध में संसदीय स्थायी समिति के विचार जो उसकी रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, के कामकाज को सुव्यवस्थित करने का प्रयास है। अधिनियम और किसी भी तरह से इसके प्रवर्तन में कानूनी बाधा या बाधा नहीं है। अधिनियम के प्रावधान आज भी यथावत हैं। किसी भी क़ानून के कामकाज में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के ऐसे प्रयास अधिनियम के कामकाज पर प्राप्त अनुभवों से निर्धारित एक सतत और चालू अभ्यास है। इस तरह के प्रयास उस कानून के संचालन और निष्पादन को नहीं रोक सकते हैं। जिसे कार्यपालिका ने अपने विवेक से पहले ही लागू कर दिया है और अधिनियम की धारा 1(4) के प्रावधानों का सहारा लेकर लागू कर दिया है। [पैरा 20][309-जी-एच; 310-ए- बी]

केस कानून संदर्भ

[2015] 3 एससीआर 997	करने के लिए भेजा	पैरा 9
[2003] 4 पूरक एससीआर 471	करने के लिए भेजा	पैरा 16
[1987] 3 एससीआर 317	करने के लिए भेजा	पैरा 18
[1979] 2 एससीआर 476	करने के लिए भेजा	पैरा 22

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सी) संख्या 245/2014।

साथ

टी.सी. (सी) क्रमांक 10/2017 उर्फ टी.पी. (सी) नंबर 1264/ 2014

डब्ल्यू. पी.(सी) नंबर 673/2015

टी.सी. (सी) क्रमांक 109/2015

मुकुल रोहतगी, एजी, मनिंदर सिंह, एएसजी, ए. मारियारपुथाफन, एजी (सिक्किम), नलिन कोहली, डी.के. ठाकुर, (एचपी), संचार आनंद, सुश्री किरण बाला सहाय, एएजी, शांति भूषण, विकास सिंह, बी. प्रभाकरन, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशांत भूषण, कार्तिकेत, रोहित कुमार सिंह, सुश्री सुषमा सूरी, अभय नेवागी, कृष्ण कुमार, गोपाल शंकरनारायणन, जीशान दीवान, सुश्री पूजा धर, जी आनंद सेल्वम, राम शंकर, वसंत कुमार (गोपाल बलवंत साठे के लिए), जे.पी.त्रिपाठी, गिरधल उपाध्याय, सुश्री आशा उपाध्याय, आर.डी.उपाध्याय, डी.एल.चिदानंद, सुश्री सुनीता शर्मा, रितेश कुमार, मुकेश कुमार मरोरिया, अभिनव मुखर्जी, श्रीमती बिहू शर्मा, सुश्री पूर्णिमा कृष्णा, अनिरुद्ध पी.माई, ए. सेल्विन राजा, देवेन्द्र सिंह, अंकित रॉय, इंद्रजीत सिंह, सुश्री विशाखा आहूजा, मिलिंद कुमार, मिश्रा सौरभ, नवीन शर्मा, एम. योगेश कन्ना, सुश्री निथ्या, श्रीमती महालक्ष्मी, पार्थ सारथी, सुनील फर्नांडीस, वी.जी. प्रगासम, एस. प्रभु रामसुब्रमण्यम, सुश्री अरुणा माथुर, अवनीश अर्पुथम, सुश्री अनुराधा अर्पुथम, अमित अरोड़ा (मैसर्स अर्पुथम अरुणा एंड कंपनी के लिए), सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह, कु. ममता सिंह, वी.के. शर्मा, कु. प्रगति नीखरा, कु. रचना श्रीवास्तव, सुकृत आर कपूर, नित्या मधुसूदनन, शिशिर देशपांडे, सुश्री रुचिरा गुप्ता, साल्वाडोर संतोष रेबेलो, अनुराग शर्मा, सुश्री के. एनाटोली सेमा, एडवर्ड बेल्हो, अमित कुमार सिंह, रंजन मुखर्जी, एस. भौमिक, सुवेन्दु सुवासीस दास, अपूर्व सिंघल, अनंत के. वात्स्य, नरसिंह एन. राय, कुलदीप सिंह, एम. शोएब आलम, सुश्री फौजिया शकील, उज्जवल सिंह, मोजाहिद करीम खान, तपेश कुमार सिंह, मो. वक़्वास, आदित्य प्रताप

सिंह, कु. प्रियंका, कु. प्रियदर्शनी प्रिया, शरद कुमार सिंघैया, कु. नूपुर सिंघल, संजय कुमार विसेन, राजाराम नारायणन, पी. जेगन, अरुण सिंह, वी.जे. उषा, सुश्री। दिव्या, कु. सुजाता, आर.वी. कामेश्वरन, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए।

न्यायालय का निर्णय रंजन गोगोई, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. 2014 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 245 दायर की गई है जिसमें यह घोषणा करने की मांग की गई है कि सर्च कमेटी (संविधान, नियुक्ति के नियम और शर्तें) के नियम 10(1) और नियम 10(4)(i) सदस्यों की संख्या और लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए नामों के पैनल के चयन का तरीका) नियम, 2014 (इसके बाद "खोज समिति नियम" के रूप में संदर्भित) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (इसके बाद संदर्भित) के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं जैसा कि "अधिनियम") अधिकारातीत है और उपरोक्त खोज समिति नियमों के प्रावधानों के तहत लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए चयन की किसी भी प्रक्रिया की शुरुआत को रोकने के लिए एक और निर्देश दिया गया है।

2. इसमें कोई संदेह नहीं है कि रिट याचिकाकर्ता की उपरोक्त शिकायत पर खोज समिति (संशोधन) नियम, 2014 द्वारा ध्यान दिया गया है, जिसने नियम 10 के उप-नियम (1) में निम्नलिखित शब्दों को हटा दिया है:

> "कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई व्यक्तियों की सूची में से"

सर्च कमेटी नियमावली के नियम 10 के उपनियम (4) में भी है तब से हटा दिया गया है।

3. उपरोक्त के बावजूद, रिट की ओर से यह आग्रह किया जाता है याचिकाकर्ता का कहना है कि अधिनियम के प्रावधानों को अभी तक लागू नहीं किया

गया है। अधिनियम के तहत चयन समिति/खोज समिति अभी तक नहीं बनी है अध्यक्ष और लोकपाल के सदस्य. की नियुक्ति को आगे बढ़ाने के लिए गठित किया गया।

4. जैसा कि संबंधित मामले में यानी यूथ फॉर इक्वेलिटी द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 673/2015 में की गई प्रार्थनाएं बिल्कुल उपरोक्त प्रभाव के लिए हैं, हमने रिट याचिका (सिविल) संख्या 245/ 2014 में रिट याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वकील को अनुमति दी है। उपरोक्त मुद्दे पर न्यायालय को भी संबोधित करने के लिए।

5. 2015 के स्थानांतरित मामले संख्या 109 और 2014 की स्थानांतरण याचिका (सिविल) संख्या 1264 से उत्पन्न स्थानांतरित मामले में मांगी गई राहतें समान हैं और 2014 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 245 में दी गई राहत के समान हैं।

6. विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शांति भूषण, जिन्होंने प्रमुख दलीलें पेश कीं, ने प्रस्तुत किया है कि यह अधिनियम 16 जनवरी, 2014 को भारत सरकार द्वारा आधिकारिक राजपत्र में जारी एक अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था। लंबे समय से प्रयास के बावजूद अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका है। यह तर्क दिया गया है कि हालांकि आधिकारिक उत्तरदाताओं का कहना है कि अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सार्थक तरीके से व्यावहारिक बनाने के लिए बदलाव की आवश्यकता है, तथ्य यह है कि संशोधन विधेयक [लोकपाल और लोकायुक्त और अन्य संबंधित कानून (संशोधन) विधेयक, 2014] संसद में पेश होने की तारीख (18 दिसंबर, 2014) से धूल फांक रहा है, यह लोकतांत्रिक कामकाज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को पूरा करने वाले हितकारी अधिनियम को प्रभावी बनाने के लिए कार्यकारी/विधायी इच्छाशक्ति की कमी को पर्याप्त रूप से प्रदर्शित करेगा। सरकार की, अर्थात्, एक स्वतंत्र निकाय के प्रति राजनीतिक कार्यपालिका और सार्वजनिक कार्यालय के उच्च पदों पर बैठे लोगों की

जवाबदेही। लोकपाल. श्री शांति भूषण ने यह भी आग्रह किया है कि अधिनियम में विसंगतियां, विसंगतियां और अपर्याप्तताएं, जैसा कि उत्तरदाताओं द्वारा माना जाता है, मुख्य रूप से वर्तमान लोक सभा/लोकसभा (इसके बाद "एलओपी" के रूप में संदर्भित) में विपक्ष के नेता की अनुपस्थिति के संबंध में हैं। जिसे अधिनियम की धारा 4 के तहत चयन समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य करना है। श्री भूषण के अनुसार, यह एक दिखावा और/या दिखावा है, क्योंकि संसद में विपक्ष के नेताओं के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1977 (इसके बाद इसे "1977 अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 2 में "नेता विपक्ष" का अर्थ शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

> "2. परिभाषा. इस अधिनियम में "विपक्ष के नेता" के संबंध में संसद के किसी भी सदन का मतलब परिषद का सदस्य है, राज्यों या लोक सभा का, जैसा भी मामला हो, कौन है, फिलहाल, पार्टी के उस सदन में नेता सर्वाधिक संख्या बल वाली सरकार का विरोध और जैसा भी मामला हो, राज्य सभा के अध्यक्ष या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा इस रूप में मान्यता प्राप्त है।
>
> स्पष्टीकरण - जहां राज्य सभा या लोक सभा में सरकार के विरोध में दो या दो से अधिक दल हों, जिनकी संख्यात्मक शक्ति समान हो, वहां राज्य सभा का सभापति या लोक सभा का अध्यक्ष होता है। ऐसा हो सकता है कि, पार्टियों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, इस धारा के प्रयोजनों के लिए ऐसे दलों के नेताओं में से किसी एक को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता दी जाएगी और ऐसी मान्यता अंतिम और निर्णायक होगी।

श्री भूषण का मानना है कि किसी भी तरह की अस्पष्टता महसूस होने की स्थिति में स्थिति को स्पष्ट करने के लिए भारत सरकार द्वारा उपरोक्त प्रावधान को आसानी से अपनाया जा सकता था। श्री भूषण ने न्यायालय को विशेष रूप से अधिनियम की धारा 62 के प्रावधानों के बारे में बताया है जो भारत सरकार को ऐसा करने में सक्षम बनाता है। चूंकि ऐसा कार्य आवश्यकतानुसार दो वर्ष की अवधि के भीतर नहीं किया गया था, इसलिए अब वह समय सीमा समाप्त हो गई है। श्री भूषण ने बताया है कि अज्ञात कारणों से, उत्तरदाताओं को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए, न्यायालय द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाने चाहिए और उचित आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता है।

7. श्री शांति भूषण द्वारा दिए गए तर्कों का समर्थन करते हुए, रिट याचिका (सिविल) संख्या 673/2015 में रिट याचिकाकर्ताओं के वकील श्री गोपाल शंकरनारायण ने न्यायालय का ध्यान अन्य कानूनों के प्रासंगिक प्रावधानों की ओर आकर्षित किया है, अर्थात्: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 आदि में बताया गया है कि उपरोक्त सभी कानूनों में यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई एलओपी उपलब्ध नहीं है, तो वह सरकार के विपक्ष में पार्टी का नेता होगा। जिसके सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है, जिसे विपक्ष का नेता माना जाता है। विद्वान वकील ने यह भी बताया कि अधिनियम की धारा 4(2) के तहत लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति केवल चयन समिति में किसी रिक्ति के कारण अमान्य नहीं होगी। इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि एलओपी की अनुपस्थिति में भी चयन समिति के लिए खोज समिति के गठन के साथ आगे बढ़ना खुला है। प्रख्यात न्यायविद् की नियुक्ति के संबंध में भी यही स्थिति होगी, जिसे चयन समिति के अन्य सदस्यों द्वारा चयन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाना आवश्यक है। अधिनियम की धारा 4(1)(ए) से (डी) के तहत गिना गया। इसलिए,

एलओपी की अनुपस्थिति को, चयन समिति के गठन और समिति द्वारा कार्यों के निर्वहन में देरी करने की आवश्यकता नहीं है।

9. विद्वान वकील द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि चूंकि संशोधन विधेयक के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए विधायी कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए इस न्यायालय को यह समझने के लिए अधिनियम की धारा 4(1)(सी) के प्रावधानों को पढ़ना चाहिए। अधिनियम के उक्त प्रावधानों में उल्लिखित एलओपी का अर्थ संसद के किसी भी सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता है। उपरोक्त तरीके से क़ानून के प्रावधानों को पढ़ना, क़ानून को प्रभावी बनाने के लिए उचित होगा। इस संबंध में, विपुलभाई एम चौधरी बनाम गुजरात कॉर्पोरेशन मिल्क मिट फेडरेशन लिमिटेड (2015) 8 एससीसी 1 में इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 26 और 46 में निहित निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया है। जो नीचे निकाले गए हैं:

> "26. जहां संविधान ने कुछ संस्थानों में एक विशेष संरचना की कल्पना की है, विधायी निकाय उसके अनुसार क़ानून को ढालने के लिए बाध्य हैं। संवैधानिक आदेश के बावजूद, यदि संबंधित विधायी निकाय क़ानून में आवश्यक संरचनात्मक परिवर्तन नहीं करता है, तो, संविधान के अनुसार क़ानून को अर्थ प्रदान करना न्यायालय का कर्तव्य है। "सर्वोच्च न्यायालय का काम संविधान का अर्थ समझाना नहीं है, बल्कि उसे अर्थ प्रदान करना है" (वाल्टर बर्न्स, 'वकीलों द्वारा सरकार) और न्यायाधीश', टिप्पणी, जून, 1987, 18।] संदर्भ स्पष्ट रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के लिए है। व्याख्या के एक सामान्य नियम के रूप में, इसमें कोई संदेह नहीं है, किसी क़ानून में कुछ भी जोड़ा या हटाया नहीं जा सकता है। हालाँकि, जब

वहाँ हैं किसी निष्कर्ष को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान करना न्यायालय का परम कर्तव्य है ऐसा करने के लिए।

"...यह शाब्दिक निर्माण के सामान्य नियम का परिणाम है कि किसी प्रतिमा में कुछ भी नहीं जोड़ा जाना चाहिए या उसमें से कुछ भी नहीं हटाया जाना चाहिए जब तक कि इस अनुमान को सही ठहराने के लिए पर्याप्त आधार न हों कि विधायिका का इरादा कुछ ऐसा था जिसे उसने व्यक्त करना छोड़ दिया" मैक्सवेल ऑन द मूर्तियों की व्याख्या (12th संस्करण) 33]

थॉम्पसन (पॉपर) बनाम गूल्ड एंड कंपनी में लॉर्ड मर्सी के अनुसार [1910] ए.सी. 409. (एचएल): (एसी पृष्ठ 420)

"...किसी अधिनियम या संसद के शब्दों को पढ़ना एक मजबूत बात है, जो हैं ही नहीं और स्पष्ट आवश्यकता के अभाव में ऐसा करना ग़लत है।"

सहकारी समितियों के मामले में, सत्तानबेवें संशोधन के बाद, सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक संस्थानों के रूप में शासित होने के संवैधानिक आदेश, कानून को पढ़ने की मजबूत बात करना एक स्पष्ट या मजबूत आवश्यकता बन गई है।

45...संवैधानिक प्रावधानों को बदली हुई परिस्थितियों और समय और राजनीति की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यापक रूप से और उदारतापूर्वक समझा जाना चाहिए" [डब्ल्यू.बी. राज्य में संवैधानिक पीठ का निर्णय बनाम लोकतांत्रिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए

समिति, (2010) 3 एससीसी 571, पी.591, पैरा 45: (2010) 2 एससीसी (सीआरआई) 401]

46. संवैधानिक अधिदेश की पृष्ठभूमि में, सवाल यह नहीं है कि क़ानून क्या कहता है बल्कि सवाल यह है कि क़ानून को क्या कहना चाहिए। यदि अधिनियम या नियम या उपनियम यह नहीं कहते हैं कि उन्हें संविधान के संदर्भ में क्या कहना चाहिए, तो अदालत का यह कर्तव्य है कि वह अधिनियमों में संवैधानिक भावना और अवधारणा को पढ़े...."जहां तक अपने अधिनियम में संसद अपने इरादे को स्पष्ट रूप से, स्पष्ट रूप से और पूरी तरह से व्यक्त नहीं करती है, ऐसा माना जाता है कि प्रवर्तन एजेंसियों को, जिन पर कानून लागू करने का कर्तव्य सौंपा गया है, इसके कानूनी अर्थ के बारे में विस्तार से बताने की आवश्यकता है। यह या तो किया जा सकता है- (ए) विधायक द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में निहितार्थ ढूंढने और घोषित करने से, या (बी) सार्वजनिक नीति (कानूनी नीति सहित) के अनुसार अपने अर्थ को विस्तृत करने के लिए एक प्रत्यायोजित विधायी शक्ति प्रदान करने के रूप में व्यक्त भाषा की चौड़ाई या अन्य अस्पष्टता के संबंध में और कानून का उद्देश्य" [फ्रांसिस बेनियन द्वारा वैधानिक व्याख्या पर बेनियन, (6 वां संस्करण)136]"

10. जवाब में, विद्वान अटॉर्नी जनरल श्री मुकुई रोहतगी ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान लोकसभा में एलओपी के पद का दावा किया था। हालाँकि, उक्त दावे को माननीय अध्यक्ष ने इस आधार पर खारिज कर दिया कि संसदीय परंपरा और प्रथा के मापदंडों के अनुसार, कांग्रेस पार्टी के पास लोक सभा की

कुल सदस्यता की अपेक्षित 10% ताकत नहीं है। लोकसभा को अपने नेता को विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता देने का अधिकार है। इस संबंध में श्री रोहतगी ने लोकसभा सचिवालय के एक प्रकाशन पर भरोसा किया गया है जो निम्नलिखित प्रभाव वाला है:

"वर्तमान में, लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्यता प्राप्त नेता नहीं है।"

11. श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया है कि 1977 के अधिनियम के प्रावधान, अपने आप में, विचाराधीन अधिनियम का हिस्सा नहीं बन सकते। यह प्रस्तुत किया गया है कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का प्रयास किया गया था लेकिन उसके कुछ अपर्याप्त और असंगत प्रावधानों से उत्पन्न कुछ कठिनाइयाँ सामने आईं जिसके कारण संशोधन विधेयक की आवश्यकता पड़ी। विधेयक का उल्लेख करते हुए, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने प्रस्तुत किया है कि विधेयक अधिनियम के तहत लागू संस्था के सुचारू कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में व्यापक संशोधन करना चाहता है।

12. इस स्तर पर संशोधन विधेयक की मुख्य विशेषताओं के साथ-साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अन्य संशोधनों के संक्षिप्त विवरण पर ध्यान देना आवश्यक होगा, जो वर्तमान में विधायी विचाराधीन है। जिन प्रमुख संशोधनों के लिए एक विशिष्ट नोटिस की आवश्यकता होगी, वे संशोधन विधेयक की धारा 2 में शामिल हैं, जो धारा 4 [उपधारा (1) के खंड (सी) और खंड (ई), उपधारा (2) और उप में संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। -अधिनियम की धारा (3)] नीचे बताए गए तरीके से:

"2. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 4 में,-

(ए) उपधारा(1) में,-

(1) खंड (सी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(सी) लोक सभा में विपक्ष के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त है या जहां विपक्ष का कोई नेता नहीं है, तो, उस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता - सदस्य।";

(ii) खंड (ई) के बाद, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा, अर्थात् :-

"बशर्ते कि प्रख्यात न्यायविद् को तीन साल की अवधि के लिए नामांकित किया जाएगा और वह पुन: नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा।";

(बी) उप-धारा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

(2) किसी अध्यक्ष या सदस्य की कोई नियुक्ति या किसी प्रतिष्ठित न्यायविद का नामांकन केवल चयन समिति में किसी सदस्य की रिक्ति या अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगा।";

(सी) उप-धारा (3) में, दूसरे प्रावधान के बाद, निम्नलिखित प्रावधान डाला जाएगा, अर्थात्: -

'परंतु यह भी कि खोज समिति में किसी व्यक्ति की नियुक्ति या खोज समिति की कार्यवाही केवल किसी रिक्ति या चयन समिति में किसी सदस्य की अनुपस्थिति या खोज समिति में किसी व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण अमान्य नहीं होगी, जैसा कि मामला हो सकता है।"

13. संशोधन विधेयक 18 दिसंबर, 2014 को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 25 दिसंबर, 2014 को संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। इसके बाद, 3 दिसंबर, 2015 को संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित प्रस्तुत की गई: रिपोर्ट से उद्धरण उन प्रासंगिक अनुभागों को इंगित करेगा जिनके संबंध में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं और उनकी सीमा क्या है।

क्र.सं.	रुचि का क्षेत्र	प्रावधानों लोकायुक्ता अधिनियम, 2013 और दिल्ली स्पेशल पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946	प्रासंगिक धारा	प्रावधान की विधेयक	प्रस्तावित	सीम तक संशोधन प्रतवित
1	सिलेक्शन समिति का गठन	प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लोक सभा के स्पीकर, नेता विपक्ष, प्रख्यात न्यायविद	4 (1) लोकपाल एंड लोकयायुत अधिनिम 2013	प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लोक सभा के स्पीकर, मेटा विपक्ष, प्रख्यात न्यायविद	2(a)(j)	सबसे बड़े विपक्ष दल नेता लोक सभा या फिर विपक्ष दल नेता लोक सभा सिलेक्शन समिति
2	सिलेक्शन समिति मैं	अवधि का कोई उल्लेख नहीं	4 (1) (e) लोकपाल एंड	स्थाई कार्यकाल 3 वर्ष का और उसके	2 (b)	सीमित कार्यकाल प्रख्यात न्यायविद

	प्रख्यात न्यायविद की अवधि		लोकयायुत अधिनिम 2013	पश्चात कोई रे नॉमिनेशन नहीं		एक अवधि कासिलेक्शन समिति
3	सर्च एंड सिलेक्शन समिति की कार्यवाही	कार्यवाही का अमान्य नहीं होना अगर रिक्ति सर्च सिलेक्शन समिति	4 (2) लोकपाल एंड लोकयायुत अधिनिम 2013	कार्यवाही का अमान्य नहीं होना अगर रिक्ति सर्च सिलेक्शन समिति	2(b) एवं 2(c)	कार्यवाही का अमान्य नहीं होना अगर रिक्ति सर्च सिलेक्शन समिति उस दशा मैं कोई रिक्ति किस सदस्य
4	सचिव लोकपाल का उनका पद	सचिव भारत सरकार	10(1) लोकपाल एंड लोकयायुत अधिनिम 2013	अतिरिक्त सचिव भारत सरकार	3(a)	पद कम किया
5	निधेशक इन्क्वायरी और निधेशक अभियोजनलोकपाल का पद	अतिरिक्त सचिव भारत सरकार	10(1) लोकपाल एंड लोकयायुत अधिनिम 2013	जॉइंट सचिव भारत सरकार	3(b)	पद एक लेवल कम किया
6	सेट ओर लायबिलिटी	सभी लोक सेवकों अपने पत्नी के और बच्चों को अपने	44(1) & 44 (2)	लोक सेवा को यह घोषणा (I)	6(a)	अचल संपत्ति जो लोक सेवक

का खुलासा	एसेट और लायबिलिटी के जैसा कि अधिनियम में प्रस्तावित है 30 दिन के भीतर एवं सक्षम प्राधिकारी और रिटर्न फाइल स्वयं की पत्नी की बच्चों की 31 मार्च से पहले सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा और वह आम जनता के समक्ष 31 अगस्त उसे साल की पेश करेगा	लोकपाल एंड लोकयायुत अधिनिम 2013	कोई अचल संपत्ति मलिक किसी लोक सेवक या उसके किसी परिवार के सदस्य के नाम या फिर किसी अन्य के नाम (ii) कोई चल संपत्ति उसके द्वारा अर्जित की गई (iii) कोई ऋत या दयता उसके नाम पर प्रत्यक्ष है सक्षम प्राधिकारी के समक्ष अधिनियम नियम व रूल्स उसके समक्ष जिसके द्वारा वह चुनाव	द्वारा अर्जित की गई है चाहे वह उसके उपनाम में या फिर उसके किसी पारिवारिक सदस्य के नाम की घोषणा करेगा केवल चल संपत्ति जो लोग सेवक के नाम है सिर्फ इसकी घोषणा करेगा

				सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषणा जिसे लोक सेवक निहित तरीके से 31 अगस्त तक तक सूचित करेगा		
7	लोकपाल की सात	नए देल्ली	16(f) लोकपाल एंड लोकयायुत अधिनिम 2013	देल्ली की NCR	4	मुख्यालय एनसीआर दिल्ली में स्थापित करने की कोशिश करेगा
8	पात्रता मापदन निर्देशक अभियोजन सीबीआई	जो स्टार निर्देशक अभियोजन का है वह जॉइंट सेक्रेटरी भारत सरकार क्या होगा	4 BA DSPE अधिनियम 1946	भारतीय इंडियन लीगल ऑफिसर स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के लिए उपयुक्त है अगर इनके अभाव में कोई ऐसा अधिकारी अधिवक्ता	9(a)	उक्त एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सख्त रखा गया है जो सिर्फ कौन अधिकारियों यों को अभी उज्जैन मैं स्वीकार करते हैं

				जो 15 साल की योग्यता रखता है दक्षता रखता है सरकारी मुकदमे जो इकोनामिक ऑफेंस भ्रष्टाचार		
9	जैसे सेंट्रल ब्यूरो का इन्वेस्टिगेगेशन मतभेद में अंतर निदेशक और निर्देशक अभियोजन सीबीआई	कोई प्रावधान नहीं	4 BA डीएसपीई अधिनियम 1946	उक्त मतभेद अटॉर्नी जनरल ऑफ़ इंडिया द्वारा सुलझाया जाएगा जो कि दोनों पर बर बाध्य ध्यकारी होगा	9(b)	नया प्रावधान

14. उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि संशोधन विधेयक एलओपी के बदले चयन समिति में लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को शामिल करने की मांग करता है। प्रस्तावित संशोधनों में चयन समिति के सदस्य के रूप में प्रतिष्ठित न्यायविद के कार्यकाल को सीमित करने का भी प्रावधान है। इस तथ्य का भी स्पष्ट उल्लेख है कि चयन समिति के किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति (या किसी सदस्य के पद की रिक्ति) लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति की सिफारिशों को

अमान्य नहीं करेगी। प्रख्यात न्यायविद् की नियुक्ति. इसी प्रकार, खोज समिति के किसी सदस्य की नियुक्ति या उक्त समिति की कार्यवाही खोज समिति के किसी सदस्य की अनुपस्थिति या चयन समिति में रिक्ति के कारण अमान्य नहीं होगी। अधिनियम के अन्य प्रावधान अधिनियम के तहत कुछ प्रासंगिक मामलों से संबंधित हैं, जैसे, लोकपाल के सचिव का पद, जांच निदेशक का पद और लोकपाल के अभियोजन निदेशक का पद; लोक सेवकों द्वारा संपत्तियों और देनदारियों का खुलासा; लोकपाल की सीट; अभियोजन निदेशक की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड, और निदेशक और सीबीआई के अभियोजन निदेशक के बीच मतभेदों के समाधान से संबंधित प्रावधान।

ै15. जबकि संसदीय स्थायी समिति ने प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में विभिन्न सिफारिशें की थीं, जहां तक लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता द्वारा एलओपी के प्रतिस्थापन से संबंधित संशोधन का सवाल है, संसदीय स्थायी समिति ने प्रस्तावित संशोधन को मंजूरी दे दी. जहां तक रिक्ति निकलने की स्थिति में खोज/चयन समिति द्वारा कार्यों के निर्वहन का सवाल है, संसदीय स्थायी समिति का मानना है कि खोज/चयन समिति को तब तक कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए जब तक कि खोज/चयन समिति में रिक्ति न हो। भरा हुआ। बल्कि यह सुझाव दिया गया है कि ऐसी रिक्तियों/रिक्तियों को यथाशीघ्र भरने के लिए संशोधन विधेयक में प्रावधान किये जाने चाहिए। समिति की बाकी सिफ़ारिशें संबंधित विषयों की प्रकृति को देखते हुए उत्पन्न होने वाले प्रश्न का निर्णय करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होंगी, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट से जो कि निकाले गए चार्ट में ऊपर चित्रित विषयों की सरसरी नज़र से स्पष्ट होगा।

16. जैसा कि देखा गया, संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट 3 दिसंबर, 2015 की है। जिन मामलों की सुनवाई में 28 मार्च, 2017 को हुई, भारत के विद्वान अटॉर्नी

जनरल श्री मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया है कि वर्तमान में संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट सरकार की जांच के अधीन है और यह संभव है कि इसे संसद द्वारा विचार के लिए लिया जा सकता है। चालू वर्ष के मानसून सत्र में. इस न्यायालय की कई घोषणाओं पर भरोसा करते हुए, श्री रोहतगी ने प्रस्तुत किया है कि विधानमंडल को कोई कानून बनाने या मौजूदा कानून में संशोधन करने या किसी भी समय सीमा के भीतर विधायी अभ्यास पूरा करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है। चूंकि कानून के उपरोक्त प्रस्तावों पर कोई गंभीर विवाद नहीं हो सकता है, इसलिए इस आदेश को कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य (2003) 8 एससीसी 250 में इस न्यायालय के फैसले को उदाहरण के तौर पर संदर्भित करने के अलावा, इस पर भरोसा किए गए निर्णयों के विस्तृत संदर्भ के साथ बांधना आवश्यक नहीं होगा।

17. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि किसी मौजूदा कानून में संशोधन के माध्यम से बदलाव की मांग करने का संसदीय ज्ञान विधायिका के विशेष क्षेत्र में है और इसके अभ्यास पर कोई राय व्यक्त करना न्यायालय का क्षेत्र नहीं है। इस संबंध में विधायी विशेषाधिकार. संशोधन विधेयक तैयार करना, संसदीय स्थायी समिति को उसका संदर्भ देना, उक्त समिति द्वारा उस पर विचार करना, उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों के साथ तैयार की गई रिपोर्ट और उसकी समय सीमा आवश्यक विधायी कार्य हैं जिन्हें नहीं किया जाना चाहिए। सामान्यतः न्यायालय के हस्तक्षेप या हस्तक्षेप के अधीन होना। शक्तियों के पृथक्करण का संवैधानिक सिद्धांत और संवैधानिक ढांचे के तहत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के संबंधित क्षेत्राधिकार का सीमांकन न्यायालय को इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि अधिनियम में संशोधन की कवायद, जो वर्तमान में चल रही है, होनी चाहिए न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना पूरा करने की अनुमति दी जाए। इस समय कोई भी अन्य दृष्टिकोण और कोई भी हस्तक्षेप, बुनियादी संवैधानिक सिद्धांत को नकार देगा कि कानून बनाने के क्षेत्र में विधायिका सर्वोच्च है।

किसी क़ानून को उस स्थिति में व्यावहारिक बनाने के लिए पढ़ना जहां कानून में संशोधन की प्रक्रिया लंबित है, उचित नहीं होगा। हालाँकि, अधिनियम में शामिल कानून की आसन्न आवश्यकता और एक लोकतांत्रिक देश के नागरिकों पर इसके लाभकारी प्रभावों के बारे में मजबूत धारणा, न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देगी। न्यायिक अनुशासन को न्यायालय को इस तरह के दृष्टिकोण के प्रति सचेत करना चाहिए।

18. परन्तु इतना ही नहीं; एक और प्रश्न है जिसके एक जवाब आवश्यकता होगी। प्रश्न यह है कि क्या यह अधिनियम, जैसा अस्तित्व में है, इसके बिना है प्रस्तावित संशोधन इतना अव्यवहारिक है कि न्यायालय को इसे लागू करने से इनकार कर देना चाहिए, भले ही यह अधिनियम अधिनियम की धारा 1(4) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 16 जनवरी, 2014 द्वारा लागू हो गया हो। यदि अधिनियम, जैसा कि अस्तित्व में है, अन्यथा व्यावहारिक है और विधानमंडल द्वारा पेश किए जाने वाले संशोधन का उद्देश्य अधिनियम के कुछ प्रावधानों को अधिक कुशल तरीके से कार्यान्वित करना है, तो यह संपूर्ण सिद्धांत दिया जाना चाहिए कि एक कानून विधिवत अधिनियमित और लागू किया जाना चाहिए। इसका प्रभाव प्रबल होना होगा और न्यायालय द्वारा उक्त आशय के लिए उचित निर्देश जारी करने होंगे। यहां, हमें उत्कल कॉन्ट्रैक्टर्स एंड जॉइनरी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य एआईआर 1987 एससी 1454: (1987) 3 एससीसी 279 मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों की याद आती है। जिसे हम यहां नीचे उद्धृत करना उचित समझते हैं।

> "जिस प्रकार संसद से अनावश्यक अभिव्यक्तियों का उपयोग करने की अपेक्षा नहीं की जाती है, उसी प्रकार संसद से स्वयं को अनावश्यक रूप से व्यक्त करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। जिस प्रकार संसद

बिना अर्थ के किसी भी शब्द का उपयोग नहीं करती है, उसी प्रकार संसद वहां कानून नहीं बनाती है जहां किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। संसद से ऐसा नहीं माना जा सकता है कानून बनाने के लिए कानून बनाना, न ही यह माना जा सकता है कि वह निरर्थक कानून बनाता है। संसद केवल यह बताने के लिए कानून नहीं बनाती है कि क्या कहना अनावश्यक है या जो पहले से ही वैध रूप से किया जा चुका है उसे करने के लिए नहीं है। संसद को अनावश्यक रूप से कानून बनाने के लिए नहीं माना जा सकता है। फिर, जबकि किसी अधिनियम के शब्द महत्वपूर्ण हैं, संदर्भ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।"

19. ऊपर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए, अधिनियम के प्रावधानों, जैसा कि यह मौजूद है, पर अब ध्यान दिया जा सकता है। अधिनियम की धारा 4 के तहत, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों को एक चयन समिति की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाना आवश्यक है जिसमें शामिल हैं-

(ए) प्रधान मंत्री-अध्यक्ष;

(बी) लोक सभा के अध्यक्ष – सदस्य,

(सी) लोक सभा में विपक्ष के नेता-सदस्य,

(डी) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश-सदस्य;

(ई) उपरोक्त खंड (ए) से (डी) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा अनुशंसित एक प्रतिष्ठित न्यायविद् को नामांकित किया जाना है

जरिये अध्यक्ष-सदस्य।

धारा 4 की उपधारा (2) यह स्पष्ट करती है कि लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य की नियुक्ति केवल चयन समिति में कोई रिक्ति होने के कारण अमान्य नहीं होगी। यदि, वर्तमान में, एलओपी उपलब्ध नहीं है, तो निश्चित रूप से, चयन समिति के अध्यक्ष और अन्य दो सदस्य, अर्थात्, ई लोकसभा के अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामांकित व्यक्ति एक प्रतिष्ठित न्यायविद् की नियुक्ति के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अधिनियम की धारा 4(1)(ई) के तहत चयन समिति के सदस्य के रूप में। हमें लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार हेतु व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए एक खोज समिति गठित करने और राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए ऐसी संक्षिप्त चयन समिति के गठन में कोई कानूनी अक्षमता भी नहीं दिखती है। लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार। सच है, जहां तक संक्षिप्त चयन समिति द्वारा खोज समिति के गठन का संबंध है, अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (2) के समान कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। लेकिन इस तरह के प्रावधान की अनुपस्थिति, अपने आप में, काटी गई चयन समिति द्वारा खोज समिति के गठन को अमान्य नहीं करेगी, जब अधिनियम विशेष रूप से लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के लिए एक काटी गई चयन समिति को "सशक्त" करता है। अन्यथा मानना स्वयं विरोधाभासी होगा। इसलिए, प्रस्तावित धारा 4(3) में संशोधन स्पष्ट करने वाला होगा और अधिनियम में किसी कमी को दूर करने का प्रयास नहीं होगा, जो अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति में कानून में बाधा साबित हो रही है। लोकपाल. रिक्तियां/रिक्तियां मौजूद/मौजूद होने पर खोज/चयन समिति द्वारा निर्णय लेने की उपयुक्तता के संबंध में संसदीय स्थायी समिति का विचार केवल एक राय है जिस पर पहले कार्यपालिका को विचार करना होता है और उसके बाद विधायिका को विचार करना होता है। अनुमोदन करना होगा. इसलिए

संसदीय स्थायी समिति की उक्त राय पवित्र नहीं होगी। किसी भी मामले में, इसका अधिनियम के मौजूदा प्रावधानों की वैधता पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है।

20. अधिनियम के अन्य प्रावधानों पर विचार, जिनके संबंध में संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं, जैसा कि ऊपर निकाले गए चार्ट में दर्शाया गया है, और इस संबंध में संसदीय स्थायी समिति के विचार जो उसकी रिपोर्ट में उपलब्ध हैं, हमारे विचार में, यह अधिनियम के कामकाज को सुव्यवस्थित करने का प्रयास है और किसी भी तरह से नहीं। अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में कानूनी बाधाएँ या रुकावटें पैदा करना जैसा कि यह आज है। इस संबंध में, न्यायालय केवल इतना कहना और मानना चाहता है कि किसी भी क़ानून के कामकाज में बेहतर परिणाम प्राप्त करने के ऐसे प्रयास अधिनियम के कामकाज पर प्राप्त अनुभवों से निर्धारित एक सतत और चालू अभ्यास है। इस तरह के प्रयास उस कानून के संचालन और निष्पादन को नहीं रोक सकते हैं जिसे कार्यपालिका ने अपने विवेक से पहले ही लागू कर दिया है और अधिनियम की धारा 1(4) के प्रावधानों का सहारा लेकर लागू कर दिया है।

21. इस स्तर पर विधान के बताए गए उद्देश्यों और कारणों पर ध्यान देना संदर्भ से बाहर नहीं होगा जो समकालीन दुनिया में इसके अद्वितीय चरित्र और महत्व पर प्रकाश डालता है।

> "लोकपाल के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता काफी समय से महसूस की जा रही है। 1966 में प्रस्तुत 'नागरिकों की शिकायतों के निवारण की समस्याओं' पर अपनी अंतरिम रिपोर्ट में, प्रशासनिक सुधार आयोग ने अन्य बातों के साथ-साथ इसकी स्थापना की सिफारिश की थी। केंद्र में लोकपाल की एक संस्था। प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सिफारिश को प्रभावी करने के लिए, लोकपाल पर आठ

विधेयक पिछले दिनों लोकसभा में पेश किए गए थे। हालाँकि, ये विधेयक संबंधित लोकसभा के विघटन के परिणामस्वरूप समाप्त हो गए थे। 1985 के विधेयक के मामले को छोड़कर, जिसे बाद में पेश किए जाने के बाद वापस ले लिया गया था।

भारत 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध शून्य सहनशीलता' की नीति को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने 9 मई, 2011 को अनुसमर्थन दस्तावेज जमा करके भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की पुष्टि की। यह कन्वेंशन सदस्य राज्यों पर कई दायित्व लगाता है, कुछ अनिवार्य, कुछ सिफारिशी और कुछ वैकल्पिक। कन्वेंशन में अन्य बातों के साथ-साथ परिकल्पना की गई है कि राज्य पक्ष रिश्वतखोरी से संबंधित अपराधों के अपराधीकरण के लिए घरेलू कानून में उपाय सुनिश्चित करें और इसके प्रवर्तन के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करें। भारत के संदर्भ में कन्वेंशन के दायित्व 8 जून, 2011 से लागू हो गए हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के रूप में, विधेयक देश में शिकायतें प्राप्त करने के लिए एक अधिक प्रभावी तंत्र स्थापित करना चाहता है। मंत्रियों, संसद सदस्यों, मुख्यमंत्रियों, विधान सभा सदस्यों, लोक सेवकों सहित लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित और उनकी जांच करने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए। निकाय, अर्थात् लोकपाल और लोकायुक्त जो इस उद्देश्य के लिए स्थापित किए जा रहे हैं वे संवैधानिक निकाय होंगे। इन निकायों की स्थापना मौजूदा कानूनी और संस्थागत तंत्र को और मजबूत करेगी जिससे उपरोक्त कन्वेंशन के तहत कुछ दायित्वों के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन की सुविधा मिलेगी।''

22. इसलिए, हम विशेष न्यायालय विधेयक, 1978 के संदर्भ में न्यायमूर्ति कृष्णा लायर को उद्धृत करते हुए निष्कर्ष निकालते हैं और मानते हैं कि यह अधिनियम आज जिस रूप में मौजूद है, वह एक अत्यंत व्यावहारिक कानून है और अधिनियम को लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है। प्रस्तावित संशोधन लागू होने तक निलंबन।

> "हमारे सार्वजनिक कानून की विकृति, इसके वर्गीय झुकाव के साथ, यह है कि एक निरंकुश लोकपाल या प्रहरी, जो अब या पहले सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति रखता है, और सूचित नागरिक को प्रतिरक्षा के साथ शिकायत करने के लिए कानूनी पहुंच प्रदान करता है। अस्तित्व में नहीं है; उच्च स्तर की अटकलों और विकृतियों के खिलाफ राजनीतिक कलाकारों की तमाम तीखी नाराजगी के बावजूद। कानून वह है जो कानून करता है, न कि वह जो कानून कहता है, और शब्द और कर्म के बीच नैतिक अंतर जीवन और कानून में लोगों के विश्वास को खतरे में डालता है। फिर त्रासदी , क्या इससे लोकतंत्र हताहत हो जाता है।"

23. उपरोक्त कारणों से, रिट याचिकाएं और हस्तांतरित मामले ऊपर बताए अनुसार स्वीकार किए जाएंगे।

निधि जैन मामले का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक मयंक चौधरी अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।